

दिनांक-14.03.2026

उक्त मामला राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या 10 के समक्ष निस्तारण के लिये संदर्भित/प्रस्तुत किया जाता है।

इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2026 पारित किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं है। तदनुसार उक्त मामला लोक अदालत में निस्तारित किया जाता है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर आदेश दिनांकित 13.03.2026 इस पंचाट का भाग रहेगा।

(धर्मेन्द्र शाह)

(सोनल सिंघल)
सदस्य, पीठ संख्या-10
नामित अधिवक्ता।

अध्यक्ष, पीठ संख्या-10
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग)
काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर।